# स्वयं सहायता समूह के तहत सत्ता और साक्षरता

## सर्वे अध्ययन सारांश

### निरंतरः जेण्डर और शिक्षा संदर्भ समूह

महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन इन दो मुख्य उद्देश्यों के तहत बनाए जा रहे स्वयं सहायता समूह आज देश की व्यापक हकीकत हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में फिलहाल लगभग 70 लाख समूह हैं। और 92% से ज़्यादा समूह सिर्फ महिलाओं के हैं। ये महिलाएं जो इतनी बड़ी संख्या में समूहों से जुड़ रही हैं, उन्हें समूहों के ज़रिए किस तरह के अवसर मिलते हैं व इनका साक्षरता तथा सत्ता से क्या जुड़ाव है, इसे समझने व परखने के लिए निरन्तर द्वारा यह सर्वे अध्ययन किया गया। अध्ययन के तहत 16 राज्यों से 2750 समूहों की जानकारी एकत्र की गई, जिसमें 1650 सरकारी कार्यक्रमों के तहत बनाए गए व 1100 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बनाए गए समूह शामिल किए गए।

स्वयं सहायता समूह के तहत सत्ता व साक्षरता के संबंधों को समझने की आवश्यकता को समूह की महिलाओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों के सन्दर्भ में बेहतर समझा जा सकता है।

> "जब हम वन अधिकारी से मिलने जाते हैं तो हम अपनी मांगे लिखित में नहीं दे पाते। उन्हें जुबानी बताना पड़ता है। हमने बहुत काम किया लेकिन अपने वास्ते संकल्प लिखवाने के लिए हमें दूसरों की जरूरत होती है। दफ्तरों में हर चीज़ लिखित में मांगी जाती है और यहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।"
>
> *स्वयं सहायता समूह सदस्य, आनंदी–गुजरात*

> "खाते रखने वालों और लेखाकार पर हमें यकीन है लेकिन यदि इसमें (फ़ेडेरेशन में) साक्षर स्त्रियां होतीं तो बेहतर होता। साक्षर नेता अच्छी होती है। लेकिन हमारे पास साक्षर लोग नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। यदि वे कोई गलत काम कर रहे हों तो भी हमें चुप रहना पड़ता है। यदि नेता साक्षर होती तो वह बातों को ठीक से नोट करके हमें बता देती"
>
> *स्वयं सहायता समूह सदस्य, वेलुगू आन्ध्र प्रदेश **

इन दो वक्तव्यों से साक्षरता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता और आत्मविश्वास के बीच सम्बन्ध स्पष्ट तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। आजीविका से लेकर जानकारी और समूह के कार्यों में पारदर्शिता तक हर स्तर पर स्वयं सहायता समूहों में साक्षरता की आवश्यकता और उसके सत्ता से सम्बन्ध उजागर हो रहे हैं।

अतः आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों के तहत साक्षरता और सत्ता के जुड़ावों को देखा जाए। क्योंकि इन जुड़ावों के ज़रिए ही हम यह समझ पाएगें कि किस हद तक ये प्रक्रियाएं महिलाओं को अवसर देती है और किस हद तक महिलाओं का मात्र उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(*वेलुगू कार्यक्रम अब इन्दिरा क्रान्ति पथम के नाम से जाना जाता है।)

लेखिका – अर्चना द्विवेदी (2007)

**निरंतर**
बी-64, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-110017
फोन : 011-26966334 टेलीफैक्सः 011–26517726
ईमेल : nirantar@vsnl.com

सबसे अधिक संख्या में होने वाले प्रशिक्षणों में 65% से भी ज़्यादा समूहों से समूह नेताओं ने भागीदारी की। समूह के ज़रिए मिले 46% बड़े ऋण समूह नेताओं ने लिए। जबकि औसतन समूह नेता समूहों का मात्र 13% हिस्सा हैं। स्पष्ट है कि समूहों में साक्षरता से नेतृत्त्व में आने का और फिर नेतृत्त्व के मंच से अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ाव बनता है। अध्ययन की रोशनी में अतः यह कहना न्यायसंगत होगा कि साक्षरता समूह की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। और साक्षरता के ज़रिए सत्ता तक पहुंच के अवसर बढ़ जाते हैं।

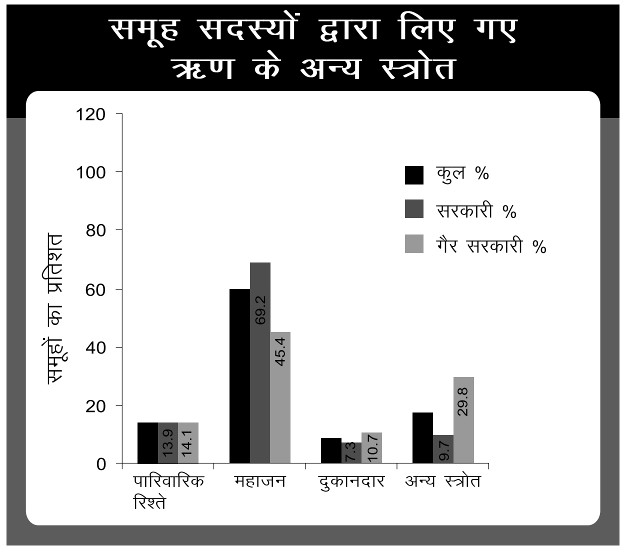


## सिफारिशें

### साक्षरता

- स्वयं सहायता समूहों की जानकारी की ज़रूरतों और भूमिकाओं से जुड़ाव बनाते हुए साक्षरता प्रयास होने चाहिए। सहयोगी संस्थाओं को चाहिए कि वे समूह सदस्यों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनज़र खास तरह के पाठ्यक्रमों का निर्माण करें।
- इस कार्य की ज़िम्मेदारी मूलभूत रूप से सरकारी संस्थानों की होनी चाहिए जो कि समूह निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इस कार्य के लिए प्रोढ़ शिक्षा विभाग की सहायता अवश्य ली जा सकती है।
- साक्षरता प्रयासों में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लम्बे समय तक साक्षरता कौशल को इस्तेमाल करने के अवसर बनें। ऐसे मापक भी बनने चाहिए जिनसे साक्षरता उपयोग को लगातार मापा जा सके।
- साक्षरता प्रयासों को लम्बे समय तक चलाने के लिए समुचित संसाधन मुहैया करना अत्यधिक आवश्यक है। साक्षरता पर हुए पहले के प्रयासों से निकले अनुभव बताते हैं कि सीमित समय के लिए चलने वाले साक्षरता कार्यक्रमों का असर भी बहुत ही सीमित होता है। लम्बे समय तक यदि साक्षरता जुड़ाव न बनाए जाएं तो बहुत कम संभावना रहती है कि महिलाएं स्थायी रूप से साक्षर हो सकेंगी।

### सम्पूर्ण क्षमता निर्माण के अवसर

- सहयोगी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि क्षमता निर्माण के अवसर सिर्फ संस्था कार्यकर्ताओं अथवा समूह नेताओं तक सीमित न रहें। साथ ही सभी समूहों को साल में कम से कम 15 दिन जेन्डर न्याय, घरेलू हिंसा के विरुद्ध तथा कानूनी अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षणों से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके शुरूआती दौर में उन महिला संस्थाओं को जोड़ा जा सकता है जिन्हें इन मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव है व वे सीधे समूह सदस्यों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दे सकती हैं।

  इस सन्दर्भ में महिला सामख्या जैसे व्यापक कार्यक्रम से जुड़ाव बनाना उपयोगी साबित होगा। क्योंकि महिला सामख्या को जेन्डर प्रशिक्षण पर लम्बा और गहरा अनुभव है व क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं से जुड़ाव बनाने की क्षमता भी।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षणों के लिए एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए। लेकिन इसमें स्थानीय स्तर पर बदलाव और नयेपन के लिए भी स्थान रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम बनाने से व्यापक स्तर पर लागू करवाने में सहूलियत हो सकती है। यह पाठ्यक्रम को जेन्डर तथा स्वयं सहायता समूह के विशेषज्ञों द्वारा मिलकर तैयार करना चाहिए।

# अध्ययन के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

## सीमित अवसर

- समूह के अर्न्तगत आने वाली 61% महिलाएं असाक्षर थीं। इनमें 28% वे सदस्य भी शामिल हैं जो सिर्फ हस्ताक्षर कर सकती थीं।

  समूह सदस्यों का 39% साक्षरता दर ग्रामीण महिलाओं के राष्ट्रीय साक्षरता दर 47% से भी कम है। परन्तु महिलाओं को साक्षर बनाने का प्रयास अध्ययन में शामिल 45 में से मात्र 3 स्वयं सेवी संस्थाओं ने ही किया।

- सरकारी कार्यक्रमों के तहत बनाए जा रहे समूहों में से 47% समूहों को पिछले दो सालों में कोई भी क्षमता निर्माण का मौका नहीं मिला था।

  जिन समूहों को प्रशिक्षण के अवसर मिले उनमें भी अधिकतर लेखा–जोखा और समूह प्रबन्धन पर ही ज़ोर रहा।

  सरकारी कार्यक्रमों के तहत बने समूहों में से मात्र 6% समूहों को जेन्डर और सिर्फ 19% समूहों को आय उपार्जन अथवा आजीविका विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण मिले।

- 50% से भी कम समूहों ने पंचायत के साथ कोई जुड़ाव बनाया। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और सत्ता की इस इकाई से जुड़ने का भी समूहों को बहुत सीमित दायरों में मौका मिला।

  जिन समूहों ने जुड़ाव बनाया भी उनमें से मात्र 8% समूहों से ही अधिकांश समूह सदस्यों ने ग्राम सभा बैठकों में भाग लेने की जानकारी दी।

- सामाजिक मुद्दों पर जुड़ाव भी बहुत कम संख्या में हुआ। सरकारी कार्यक्रमों के तहत बने समूहों में 64% समूहों ने सामाजिक मुद्दों पर कोई पहल नहीं की।

  यहां तक कि सरकारी परियोजनाओं के ज़रिए सेवाएं लेने की जानकारी इत्यादि भी मात्र 21% समूहों को ही मिली। घरेलू हिंसा के मुद्दों को तो सिर्फ 11% समूहों ने ही लिया, जो कि महिलाओं की ज़िन्दगी से सीधा जुड़ा मुद्दा है।

**समूह सदस्यों की साक्षरता दर**

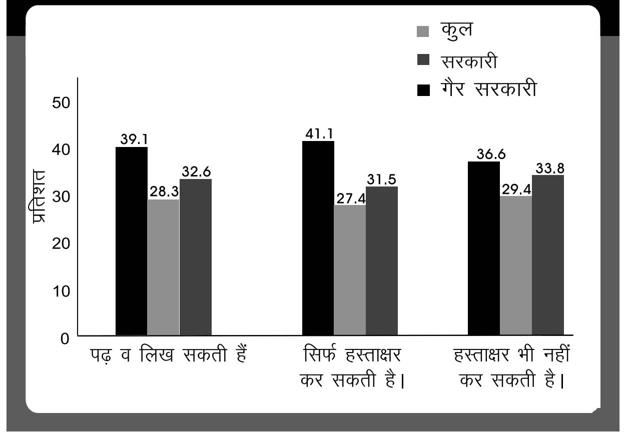


**क्षमता निर्माण के अवसर (%में)**

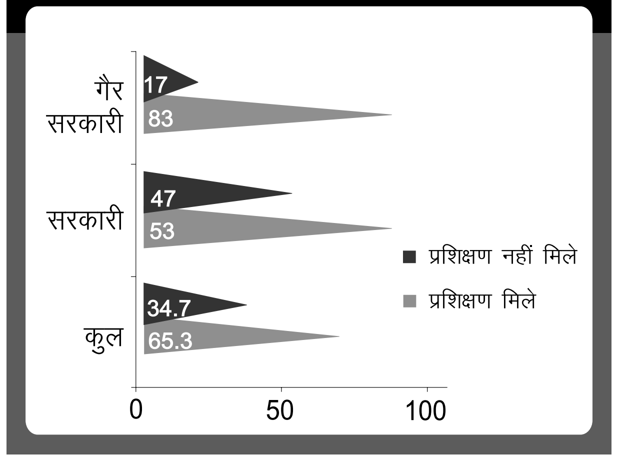


**पंचायत व समूह का जुड़ाव**

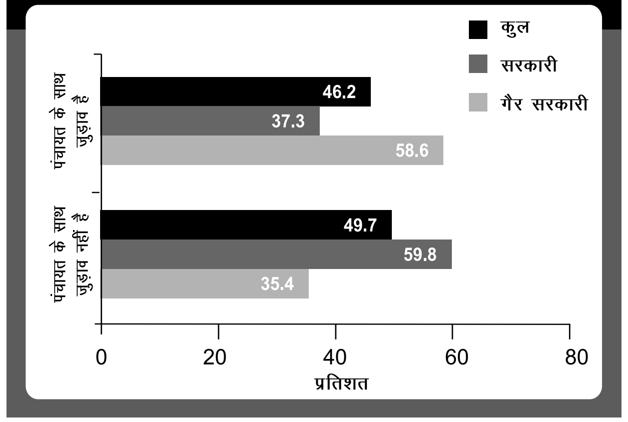


## समूहः न्याय और समता के दृष्टिकोण से

- आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े समुदायों की संसाधनों तक पहुँच बनाने के मकसद से बने स्वयं सहायता समूहों में से 43% समूहों में अधिकतर पिछड़ी जाति की महिलाएं सदस्य थीं। जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़ के अनुसार पिछड़ी जाति आर्थिक रूप से सबसे पिछडे समुदायों में नहीं है।

- समूहों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की बहुलता वाले समूह मात्र 27% और 16% थे। जबकि ये दोनों ही समुदाय के सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। मात्र 3% समूहों में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की बहुलता थी। जब कि धर्म के आधार पर देखें तो वे सबसे गरीब व पिछड़े तबके में आती हैं।

- ऋण रूपी संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए बनाए जा रहे समूहों में से मात्र 42% समूहों को ही पिछले दो साल में ऋण मुहैया हुआ। जबकि लगभग 90% से भी ज़्यादा समूह बैंको में अपनी बचत जमा करा रहे थे।

  समूहों के ज़रिए मिलने वाले बड़े ऋण समूह की नेताओं को अधिक मिलते हैं।

## साक्षरता और सत्ता के सम्बन्ध

- समूह नेतृत्त्व में आने वाली महिलाओं का लगभग 69% साक्षरता दर था। नेतृत्त्व में आने वाली सभी महिलाएं, जाति वर्ग व धर्म के आधार पर समूह सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। अतः साक्षरता ही वह सबसे महत्त्वपूर्ण घटक निकलकर आया जिसके आधार पर नेतृत्त्व का चुनाव किया जाता है।

  समूह नेतृत्त्व में आने वाली महिलाओं का बहुत सी अन्य गतिविधियों और प्रक्रियाओं से स्वतः ही जुड़ाव बन जाता है। जिससे साक्षरता और सत्ता (मौके व संसाधन) का एक चक्र बन जाता है।

  नेतृत्त्व में आने वाली महिलाओं की क्षमता संवर्धन के साथ–साथ पंचायतों से जुड़ाव और समूह गत ऋणों पर भी अधिक पहुंच बनती है। समूहों के अर्न्तगत

**स्वयं सहायता समूह द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों का फेलाव**

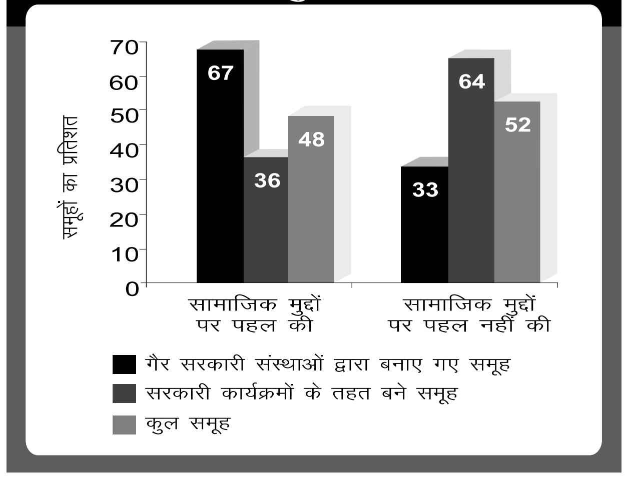


**स्वयं सहायता समूहों में विभिन्न जाति महिला सदस्यों की बहुलता (%में)**

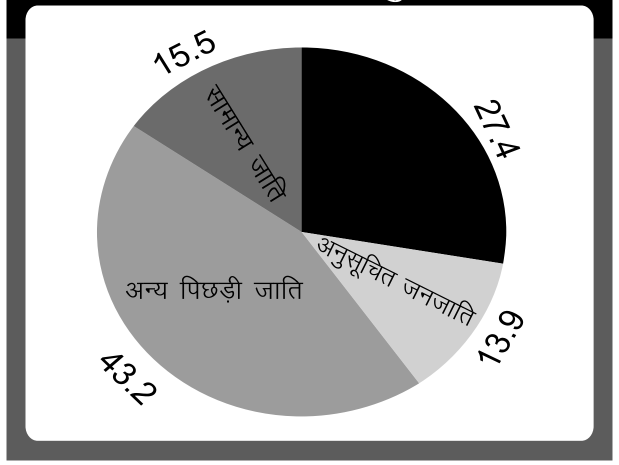


**बैक से ऋण प्राप्त कर रहे समूहों की संख्या**

| श्रेणी | समूह जिन्हें ऋण मिला | | समूह जिन्हें ऋण नहीं मिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | % | संख्या | % |
| सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए समूह | 625 | 37.9 | 1025 | 62.1 |
| स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बनाए गए समूह | 525 | 47.4 | 575 | 53.6 |
| कुल समूह | 1150 | 41.8 | 1600 | 58.2 |